


<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p>
------------------------	---

हाजा में प्रस्तुत किया है, जिस पर पैरोकार सरकार ने भी सहमति व्यक्त की है। सहमति पत्र शामिल फाइल किया गया।

हमने विद्वान आशिमासक उभयपक्ष की वदस पर मनन किया तथा फावली का अध्ययन किया। नामान्तरण संख्या 1586 दिनांक 22/11/2013 वाले ग्राम डूंगरीकवा तहसील मालपुरा को मृतक शंकर पि.मु. कल्याण शादी शुदा था, उसके कोई जायन्दासंतान नहीं है। शादी के बाद उक्त मृतक की पत्नि अपने पति शंकर को उसके जीवित रहते ही जाते-चली गई एवं जिन्दा हैं, लेकिन ग्रामीणों ने उसका नाम नहीं बताया। ऐसी स्थिति में मृतक शंकर पि.मु. कल्याण जाति बैरवा की विरासत द्वितीय पंक्ति के उत्तराधिकारियों के जन्म स्वीकार नहीं किया जा सकता को जोर अंकित करते हुये उक्त नामान्तरण को तहसीलदार मालपुरा द्वारा खारिज किया गया है।

आशिमासक उभयपक्ष ने तहसीलदार मालपुरा द्वारा फटेकारण की सुनवाई नहीं करके बाबत आपत्ति की है और फटेकारण की सुनवाई कर तहसीलदार मालपुरा द्वारा पुनः विधिवत विधि पारित करके हेतु बांद्धित फावली को रिमाउड करवाने बाबत सहमति पत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया है, जिस पर पैरोकार सरकार ने भी सहमति व्यक्त की है। अतः तहसील मालपुरा द्वारा खारिज किया गया नामान्तरण संख्या 1586 दिनांक 22/01/2013 वाले ग्राम डूंगरीकवा में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उक्त अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर नामान्तरण सं. 1586 दिनांक 22/01/2013 वाले ग्राम डूंगरीकवा पर तहसीलदार

क्र. सं.	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>मालपुरा द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार मालपुरा को इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि पत्रकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विद्वेषम्मत लिपि पारित करें। पत्रकारों को दिनांक 21/01/2022 को अखीनख अभ्यास तहसीलदार मालपुरा के समक्ष समय 10.00 ए.एम. पर उपस्थित होने लावत सूचित किया गया। पत्रकारी निधि शुमार होकर लाद तहसील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;">               M. L. Shukla              वातावरण जिला उद्योग              डी.ए.           </p>	<p style="text-align: right;">28 17/1/2022</p>